



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक 2938 / अका. / अ.मं. / 2024

रायपुर, दिनांक: 01/04/2024

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का क्रमांक 22 की धारा 28 की उपधारा 2 की कंडिका (i) से (V) तक के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के विधि संकायांतर्गत विधि अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

धारा	विवरण	सदस्यों का नाम
28(2)(i)	अध्ययनशाला के आचार्य	निरंक
28(2)(ii)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. डॉ. विनीता अग्रवाल, शास. जे. योगानंदम छ.ग. महाविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. नबी खान, शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार
28(2)(iii)	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के सह-आचार्य	1. निरंक
28(2)(iv)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातक विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. श्री दुर्गेश प्रसाद, शास. बी.सी.एस. छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय, धमतरी 2. डॉ. रामाशीष श्रीवास्तव, शास. जी.एन.एन. महाविद्यालय, भाटापारा
28(2)(v)	अधिकतम दो शिक्षकों का माननीय कुलपति जी द्वारा मनोनयन	1. डॉ. वेणुधर रौतिया, सहायक आचार्य, विधि अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर 2. डॉ. आलेख साहू, सहायक आचार्य, विधि अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी द्वारा डॉ. विनीता अग्रवाल, शास. जे. योगानंदम छ.ग. महाविद्यालय, रायपुर को अध्ययन मंडल का अध्यक्ष मनोनित किया गया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार,
11/4/24
कुलसचिव

रायपुर, दिनांक: 01/04/2024

पृ. क्रमांक: 2939 / अका. / अ.मं. / 2024
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. उप कुलसचिव, परीक्षा/सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)